

NOTICE – GENERAL


(Ref: SRMU/RO/N.G./03/2020-21/01, 02nd July, 2020)

UPDATION OF AADHAAR CARD WITH HIGHSCHOOL (10TH) DATABASE FOR SCHOLARSHIP/FEE REIMBURSEMENT (SESSION: 2020-21)

As per the UP Govt. Letter no. C-346/स0क0/शिक्षा-अ/3/96/2020-21 दिनांक 17 जून, 2020, this is to apprise that Aadhaar No. must be filled firstly by all the eligible students before final submission Scholarship/Fee Reimbursement Form 2020-21. After submission of Online Aadhaar No., Aadhaar Card database will be verified with HighSchool database. In case of successful verification of the same, an OTP would be generated and after entering it, application form might be submitted.

In view of the above instructions, following actions may be taken at students' level ASAP for successful form submission:

- 1. Aadhaar Number must be available to each eligible student.**
- 2. Aadhaar Card must be linked with Mobile No. and Mobile No. must be in active condition for successful OTP generation.**
- 3. In case of variation in Applicant Name, Parents Name, Date of Birth and Gender in Aadhaar Card, updation of data is mandatory as per HighSchool Database.**



Prof UK Singh
Registrar

Distribution: List 'B' to 'D' All

प्रेषक,
निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या—C-346 /स0क0/शिक्षा-अ/3/96/2020-21

लखनऊ: दिनांक: 17 जून, 2020

विषय—:छात्रों के आधार नम्बर अपडेट कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को सम्बोधित व आपको तथा समस्त मण्डलीय उप निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 को पृष्ठांकित निदेशालय पत्रांक सी0-487 दिनांक 16-05-2019, पत्रांक सी0-580 दिनांक 23-05-2019, पत्रांक 3460-62 दिनांक 13-12-2019, पत्रांक सी0-4630 दिनांक 03-01-2020 तथा चतुर्थ अनुस्मारक पत्रांक सी0-5814 दिनांक 02-03-2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के आधार नम्बर का ऑथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही आनलाइन आवेदन किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस व्यवस्था में छात्र का आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, लिंग व जन्म तिथि का मिलान भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से आनलाइन मिलान किया जायेगा। यदि उक्त डाटा का मिलान होता है तभी छात्र का आवेदन पत्र छात्र स्तर से अग्रसारित होगा। आधार कार्ड में उक्त विवरणों में कतिपय डाटा गलत हो सकते हैं जिनके शुद्धिकरण कराये जाने की आवश्यकता छात्रों को होगी। इस सम्बन्ध में छात्रों, उनके माता-पिता व शिक्षण संस्थानों को जागरूक किया जाना है ताकि यदि आधार कार्ड में कोई गलत डाटा है तो उसको सम्बन्धित आधार कार्ड कार्यालय से शुद्ध करा लें।

3- चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 से छात्रों के आवेदन पत्र आधार नम्बर आनलाइन वेरीफिकेशन के पश्चात सबमिट किये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही आधार बेस्ड भुगतान की प्रक्रिया भी इस वर्ष से प्रारम्भ की जायेगी। आधार बेस्ड भुगतान की प्रक्रिया के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं के आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि अंतरित की जायेगी। छात्रों का बैंक खाता जिस बैंक में खुला होगा वह बैंक पी0एफ0एम0एस0 से मैप होना चाहिये।

4- छात्र/छात्राओं द्वारा भरे गये आधार नम्बर, छात्र का नाम, पिता/पति का नाम व लिंग तथा जन्म तिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर ओ0टी0पी0 भेजा जायेगा। उक्त ओ0टी0पी0 को आवेदन पत्र में भरने के

उपरोक्त आवेदन पत्र सबिट किया जा सकेगा। आधार नम्बर से लिंक/सीडेड बैंक खाते में ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अंतरित होगी। यदि आधार नम्बर से अभ्यर्थी का कोई बैंक खाता लिंक नहीं है तो छात्रवृत्ति का भुगतान नियमानुसार सम्भव नहीं हो सकेगा।

उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किये जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्यवाही किया जाना है :-

- 1- सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिये, जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिये।
- 2- जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध हैं वे आधार नम्बर को अपने मोबाइल नम्बर एवं राष्ट्रीयकृत/निजी/ग्रामीण बैंकों में खुले बैंक खातों से लिंक/सीड करा लेना चाहिये।
- 3- हाई-स्कूल अंकपत्र/प्रमाण-पत्र में अंकित अपना नाम तथा अपने माता-पिता/पति के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना व माता-पिता/पति का नाम अपडेट करा लेना चाहिये।
- 4- हाई-स्कूल अंकपत्र/प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा लेना चाहिये।
- 5- आधार कार्ड में यदि लिंग (जेण्डर) गलत है तो उसको शुद्ध करा लेना चाहिये।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु जनपद के समस्त केन्द्रीय/राज्य/डीम्ड/निजी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों एवं समस्त प्रकार के शिक्षण संस्थाओं के निदेशक/संचालकों/प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3
- 2- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों को निर्देशित करें।

Bal
(बाल कृष्ण त्रिपाठी)
निदेशक